



2026:AHC:126173-DB

दिनांक 27.5.2026 को सुरक्षित

दिनांक 08.6.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 629/2026

विनीत कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता:

श्लोक जायसवाल, उदय भान सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उदय भान सिंह को सुना गया; राज्य प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है: -

- i. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को उनकी अवैध हिरासत से पेश करने और रिहा करने का आदेश/निर्देश दिया जाए, और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड को अवैध, शून्य और अमान्य घोषित किया जाए, क्योंकि उन्होंने मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
- ii. याचिकाकर्ता से संबंधित मामले में कानपुर नगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 6 द्वारा दिनांक 13.3.2026 को पारित रिमाण्ड आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए / यह आदेश अपराध संख्या 41 / 2026 धारा 3 (5), 318 (4), 336 (3), 338, 340 (2), 61 (2), 112 बीएनएस, पुलिस थाना किदवई नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय, कानपुर नगर के अंतर्गत पारित किया गया है।
- iii. प्रत्यर्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 2 के दोषी पुलिस अधिकारियों के कार्यों की विभागीय जांच शुरू करने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।
- iv. इस माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले किसी भी रिट, आदेश या निर्देश को जारी किया जाए, जिसके लिए याचिकाकर्ता कानून के अनुसार हकदार है।
- v. याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता को 9.3.2026 को नोएडा से पुलिस ने हिरासत में लिया था और गिरफ्तारी के तीन दिन बाद 12.3.2026 को उसे कानपुर नगर लाया गया था। 9.3.2026 को याचिकाकर्ता के लापता होने के बाद, याचिकाकर्ता की पत्नी ने 112 डायल करके पुलिस को इसकी सूचना दी। याचिकाकर्ता को 13.3.2026 को कानपुर नगर के रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और रिमांड मजिस्ट्रेट ने उसकी रिमांड 23.3.2026 तक के लिए मंजूर कर ली।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि 'गिरफ्तारी जापन' में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की हिरासत अवैध है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे वापस ले लिया गया है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए बताया कि 'गिरफ्तारी के आधार' में यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने अपने सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया है और वे डिग्री और मार्कशीट की जालसाजी में शामिल हैं। वह फर्जी मार्कशीट और डिग्री उन लोगों को उपलब्ध कराकर पैसा कमाता है जो इसके लिए भुगतान करते हैं। उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह भी बताया कि एफआईआर से स्पष्ट है कि पुलिस ने एफआईआर में नामित सह-आरोपियों से 1030 मार्कशीट, माइग्रेशन प्रमाण पत्र और डिग्री आदि बरामद किए हैं। विभिन्न कक्षाओं और विश्वविद्यालयों की अन्य मार्कशीट, विभिन्न कंपनियों के दो लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी उनके पास से बरामद की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता का नाम इस प्रकरण में सामने आया है, क्योंकि एफआईआर में उसका नाम नहीं है। उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जो इस प्रकरण से जुड़े हैं। रिट याचिका में यह नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता को इस प्रकरण में झूठा क्यों फंसाया गया है।

7. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय पाता है कि सह-आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और याचिकाकर्ता सह-आरोपियों के साथ इस प्रकरण में संलिप्त पाया गया है। हालांकि, न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था और नोएडा के रिमांड मजिस्ट्रेट से कोई पारगमन रिमांड लिए बिना कानपुर नगर के रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। अतः, उच्चतम न्यायालय के **प्रिया इंदोरिया बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एससीसी 749** प्रकरण में दिए गए विधि के सिद्धांत के अनुसार, नोएडा से पारगमन रिमांड लेना आवश्यक था, जिसका प्रत्यार्थियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, और इसलिए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध मानी जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



8. उपर्युक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की जाती है।
9. याचिकाकर्ता को कानपुर नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए जाने की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।
10. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को आज ही सामान्य शुल्क के भुगतान पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति जारी की जाए।
11. रिमांड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में रिमांड आदेश पारित करते समय सावधानी बरतें।
12. एस.एस.पी. कानपुर नगर को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में कर्तव्य में लापरवाही के लिए जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करें। जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच छह महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। जांच की स्थिति की सूचना कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त द्वारा रजिस्ट्रार (अनुपालन) के कार्यालय में इस न्यायालय को दी जानी चाहिए।
14. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की सूचना कानपुर नगर के जिला न्यायाधीश को 48 घंटे के भीतर दें।
15. प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता के विरुद्ध कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने की छूट है।

8 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।